

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र / 2/ 2022

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(गुप्त-2)विभाग

जयपुर, दिनांक : ०४/०५/२०२३

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके नियास हेतु नियमानुसार कियाये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है:-

क्र.सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवंटित आवास
1.	70 / 2014	श्री कप्तान सिंह, कनिष्ठ सहायक, कार्या. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्ड बटालियन्स राजस्थान, जयपुर	31.07.2045	4 / 113, गौड़ीनगर, जयपुर (4 / 138, गौड़ीनगर के स्थान पर) प्रथम परिवर्तन के अन्तर्गत
2.	62 / 2014	श्री भुवाना राम मीणा, मेल नंस-गा, कार्या. नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जनरल-1/ा, सवाई मानसिंह विकित्सालय, जयपुर	30.04.2040	4 / 120, गौड़ीनगर, जयपुर (4 / 121, गौड़ीनगर के स्थान पर)

शर्त :-

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का कियाया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के कियाया का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति परवात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर रथानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/वच्छों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सर्वान्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-बैंक उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा दुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अवास आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान कियाया भरता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञा हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारीयों अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरस्त जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वर्यं/पति/पत्नी व उन पर अक्षित कियी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
- श्री भुवाना राम मीणा को इस विभाग के सम्बन्धित आदेश दिनांक 21.04.2023 द्वारा आवंटित राजकीय आवास संख्या 4 / 121, गौड़ीनगर रिक्त नहीं होने के कारण उक्त आवास का आवंटन निरस्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अौ द्वर सहाय नीचा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलवटर, जयपुर।
- पुलिस अधीक्षक, आर्ड बटालियन, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके बेतन से नियमानुसार कियाया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- अधीक्षक, सवाई मानसिंह विकित्सालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके बेतन से नियमानुसार कियाया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, निजी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके बेतन से नियमानुसार कियाया वसूली को सुनिश्चित करावें।
- काषधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
- अधिकारीय अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-त्रूतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पाँचे दिये गये प्रवत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
- अधिकारीय अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
- अधिकारीय अभियन्ता, जयपुर रेलवे अधिकारीय अभियांत्रिकी विभाग, गौड़ीनगर जयपुर।
- प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन(गुप्त-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौड़ीनगर, जयपुर।
- संबंधित कर्मचारियों को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पाँचे दिये गये प्रवत्र की अपने सत्र पर आवश्यक पूर्ति कर अधिकारीय अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-त्रूतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्बलबाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे साथ ही पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर दियेंगे इस विभाग को नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रायि।
- रक्षित पत्राली।

Signature valid

Digitally signed by H. Bahay Meena
Designation : Assistant Secretary
Date: 2023.05.06 16:21:31 (IST)
Reason: Approved